नम्बर / वर्ष 638 / 2024 अनवानी बलूराम बनाम राजूराम

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
12/2/26	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 032 नियम 15 सीपीसी का जवाब पेश नही किया जवाब बन्द कर उभयपक्षो की बहस सुनी गई पत्रावली वास्त निर्णय दिनांक 24/2/26 को पेश हो। Rahul	
24/2/26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 15 एवं 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की अनवानी वाद में वादी एक मात्र वादी है जो कि अत्याधिक उम्र होने व शारारिक व मानसिक दुर्बलता के कारण साक्ष्य व जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है और ना ही मानसिक स्थिति जिरह के काबिल है पूर्व में प्रस्तुत भी किया गया था वादी की परिस्थितियो को ध्यान में रखा वादी के पुत्र विजयसिह जो कि वाद की सभी तथ्या एवं परिस्थितियो से वाकिफ है को न्यायमित्र नियुक्त करने के आदेश फरमावे। प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जबाब पेश ना कर अपनी बहस में निवेदन किया की वादी ने वाद वर्ष 2024 में पेश किया है अर्थात एक वर्ष पूर्व पेश किया है तब वादी सही स्थिति में था वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में मनगढत तथ्य अंकित किये गये है ना ही प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे वादी न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो मात्र कथनो के आधार पर न्यायमित्र नियुक्त नही किया जा सकता है मात्र प्रकरण में देरीना करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत पेश कर सीव डोल मिस्मार नही करने का अनुतोष चाहा गया है। वादी/प्रार्थी का कथन है कि वादी की उम्र व मानसिक स्थिति सही नही है इसलिये वह साक्ष्य /जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है इसलिये उसके पुत्र को न्यायमित्र नियुक्त किया जावे प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के समर्थन में कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया है मात्र कथन किया गया है कथनो के आधार पर वादी/प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतो के अभाव में स्वीकार योग्य नही है अतः प्रार्थी /वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 15 एवं 151सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु दिनाक 10.03.2026 को पेश हो Rahul	
10/3/26	वकील परिवादी उपस्थित वादी ने निवेदन किया की वाद संशोधन व नया वाद पेश करना चाहता है नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ खारिज फरमाते न्यायहित में वादी को नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:10:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
बोहर